



राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 7(9)शिक्षा/ग्रुप-3/2021

जयपुर, दिनांक:- 24.03.2022

-: आदेश :-

(स्वीकृति सं. 44 / 2022)


माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2020-21 व 2021-22 में की गयी बजट घोषणाओं को अनुपालना में खोले गये 09 राजकीय महाविद्यालय, जिन्हें भूमि आवंटित हो चुकी है, इन 09 निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 40.50 करोड़ (रुपये चालीस करोड़ पच्चास लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	स्थापना वर्ष	महाविद्यालय का नाम	मांग संख्या व बजट मद	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.में)
1	2020-21	राजकीय महाविद्यालय, सिनाय जिला अजमेर	मांग संख्या-19, 4202-01-203-01-90	4.50
2	2020-21	राजकीय महाविद्यालय, कटूमर जिला अलवर	मांग संख्या-19, 4202-01-203-01-90	4.50
3	2020-21	राजकीय महाविद्यालय, देशनोक जिला बीकानेर	मांग संख्या-19, 4202-01-203-01-90	4.50
4	2020-21	राजकीय महाविद्यालय, राजलदेसर जिला चुरू	मांग संख्या-19, 4202-01-203-01-90	4.50
5	2021-22	राजकीय महाविद्यालय, नोखड़ा जिला बाड़मेर	मांग संख्या-19, 4202-01-203-01-90	4.50
6	2021-22	राजकीय महाविद्यालय, हदां जिला बीकानेर	मांग संख्या-19, 4202-01-203-01-90	4.50
7	2021-22	किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, कुवारिया जिला राजसमन्द	मांग संख्या-19, 4202-01-203-01-90	4.50
8	2021-22	राजकीय कन्या महाविद्यालय, दूनी जिला टोंक	मांग संख्या-19, 4202-01-203-01-90	4.50
9	2021-22	राजकीय महाविद्यालय, ऋषभदेव जिला उदयपुर	मांग संख्या-19, 4202-01-203-01-90	4.50
				40.50

उक्त भवन निर्माण हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत करावें तथा इस संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.सी. संख्या 102201586 दिनांक 22.03.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को AFS Modules पर अपलोड करावें।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. लेखाधिकारी शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या 4 सी में अपलोड करावें।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय (जयपुर शहर) / अजमेर / अलवर / बीकानेर / चुरू / बाड़मेर / राजसमंद / टोंक / उदयपुर
14. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 30/03/2022

क्रमांक : एफ 20 (101/01)/आयो/आकाशि/2022-23/ 113
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त सचिव, (जीबी)माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9 शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
- 10 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
- 11 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय।
- 13 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 14 प्राचार्य/नोडल अधिकारी संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
- 15 लेखाधिकारी शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान जयपुर।
- 16 कोषाधिकारी कोष कार्यालय (जयपुर शहर)/अजमेर/अलवर/बीकानेर//चूरू/बाडमेर/राजसमंद/टोंक /
उदयपुर।
- 17 मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर
- 17 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 18 रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव

(डॉ दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर